न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :— उमा मित्तल आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या :— 04 / 2023

1. अमराराम उर्फ अमरूराम उर्फ अमरसिंह उम्र वर्ष पुत्र सुरजाराम, जाति मेघवाल, साकिन चक 43 एल.एल.डब्ल्यु., तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान।

— वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सादूलशहर, तहसील सादूलशहर, जिला श्रीगंगानगर।
3. शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा गोलूवाला, तहसील पीलीबंगा।

प्रतिवादीगण

—: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट मय 88 आरटीए राजस्व रिकार्ड दुरूस्ती बाबत :—

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री रामस्वरूप तावंणिया — प्रार्थी
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा — अप्रार्थी संख्या 1

—:: निर्णय :—

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा (हनुमानगढ़) सत्यमेव जयते

दिनांकः— 10/11/23

अधिवक्ता प्रार्थी श्री राजेन्द्र कुमार पटीर द्वारा वादी की ओर से अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट व 88 आरटीए के तहत प्रस्तुत किया गया है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि—

यह कि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 43 एल.एल.डब्ल्यु. के प.न. 21 / 226 (1) के किला न. 16 / 1, 16 / 2, 17 ता 20 / 2 की 1.202 हैक. दर्ज राजस्व रिकार्ड है व तहसील पीलीबंगा के चक 43 एल.एल.डब्ल्यु. के प.न. 22 / 221 में 10 के किला न. 21 ता 25 व प.न.23 / 222(12) के किला न. 1 ता 10 में 3.7950 हैक. भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमें वादी का 1 / 3 हिस्सा है।

यह कि चक 43 एल.एल.डब्ल्यु. में वादी की भूमि जमाबन्दी में नाम अमराराम है जबकि वादी का सही नाम मुताबिक आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड में अमरसिंह पुत्र सुरजाराम है व वादी का असली नाम अमरसिंह है, जिसके ताहिद में सरपंच ग्राम पंचायत सुरावाली द्वारा प्रमाणित प्रति सलग्न वाद पत्र है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.12.30 16:24:45 IST
Reason: SelfAttested

यह कि वादी के बैंक वितिय साहिता लेने व अन्य कार्य हेतु परेशानी का सामना करना पडता है, इसलिए नाम दुरूस्त किया जाना अतिआवश्यक है। यह कि वादी अपना अमराराम की जगह सही नाम अमरसिंह पुत्र सुरजाराम करवाने हेतु प्रतिवादी स.1 से मिला और दुरूस्त करने का आग्रह किया तो प्रतिवादी स. 1 ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि यह मेरे अधिकार क्षेत्र में नही है, सम्बधित न्यायालय से चाराजोही करो व स्पष्ट इन्कार कर दिया। यही वाद विनाय है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

यह कि वादी को चक 43 एल.एल.डब्ल्यु. के प.न. 61/226 की 1.1770 हैक. भूमि जमाबन्दी में अमराराम दर्ज है व 43 एल.एल.डब्ल्यु के प.न. 22/221, प.न. 23/222 की जमाबन्दी में अमरूराम दर्ज हैं। जबकि वादी का सही नाम मुताबिक राशन कार्ड, जन आधार कार्ड में अमरसिंह पुत्र सुरजाराम दर्ज है वादी अपनी उक्त वर्णित जमाबन्दी में अपना सही नाम अमरसिंह पुत्र सुरजाराम दुरूस्त करने की घोषणा करवाने का अधिकारी है। वादी का सही नाम अमरसिंह पुत्र सुरजाराम की घोषणा कर उक्त जमाबन्दी में सही नाम करने की घोषणा की जावें। यह कि वादी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरस्त करवाने का कानुन अधिकारी है। यह कि तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा व तहसीलदार राजस्व सादूलशहर को भू-धारक होने के नाते पक्षकार बनाया गया है।

यह कि वाद पत्र वादी घोषणात्मक अनुतोष का है, वाद श्रीमान् जी के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है, जो अन्दर मियाद पेश है। अतः वाद वादी मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि दावा बहक वादी, खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिकी फरमाया जाकर निम्न लिखित घोषणा फरमायी जावे-

(क) यह कि घोषणा फरमायी जावे कि वादी का सही नाम मुताबिक राशन कार्ड, जन आधार कार्ड में अमरसिंह पुत्र सुरजाराम दर्ज है वादी अपनी उक्त वर्णित जमाबन्दी में अपना सही नाम अमरसिंह पुत्र सुरजाराम दुरूस्त करने की घोषणा की जावे।

(ख) यह कि अन्य कोई अनुतोष जो वादी के हित में हो प्रदान किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट सरिस्ता दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा एवं तहसीलदार सादुलशहर से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई है। तहसीलदार पीलीबंगा के पत्रांक 1970 दिनांक 03.06.25 से प्राप्त रिपोर्ट अुनसार चक 43 LLW के खाता संख्या 2/2 के प.न. 21/226 (1) की कुल तादादी 1.202 हे. नहरी मय गै. मु. खाला अमराराम पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल सा. 43 LLW खातेदार रहन शाखा गोलुवाला के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त खाते में प्रार्थी अपना नाम अमराराम उर्फ अमरूराम उर्फ अमरसिंह दुरूस्त करवाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, जनआधार कार्ड, पहचान-पत्र, आरएनजी बैंक के खाता पास बुक में प्रार्थी का नाम अमरसिंह दर्ज है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी मौके पर मौजूद व्यक्तियों ने बताया कि अमराराम उर्फ अमरूराम उर्फ अमरसिंह तीनों नाम एक ही व्यक्ति के उपनाम है। अमराराम उर्फ अमरूराम उर्फ अमरसिंह का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त करने से अमराराम का हक हिस्सा प्रभावित नहीं होगा और ना ही स्वामित्व पर भी कोई प्रभाव पडेगा।

तहसीलदार सादुलशहर से पत्रांक 2979 दिनांक 26.09.25 से रिपोर्ट प्राप्त हुई है मुताबिक रिपोर्ट चक 43 एलएलडब्ल्यू तहसील सादुलशहर खाता संख्या 89/89 में अमरूराम पुत्र सुरजा राज जाति हरिजन साकिन ताखरांवाली के नाम 1.265 है. नहरी मय खाला रकबा दर्ज रिकार्ड है। उक्त रकबा जरिये बैयनामा प्रार्थी को प्राप्त हुआ है। बैयनामा में भी अमरूराम पुत्र सुरजा राम दर्ज है मौका पर दस्तावेजों अनुसार प्रार्थी ग्राम ताखरांवाली सूरांवाली पीलीबंगा का निवासी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.12.30 16:24:45 IST
Reason: SelfAttested

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजों एवं रिपोर्ट तहसीलदार पीलीबंगा एवं रिपोर्ट सादुलशहर का अध्ययन किया गया। मुताबिक रिपोर्ट अमराराम उर्फ अमरूराम उर्फ अमर सिंह एक ही व्यवित के उपनाम है। अमराराम उर्फ अमरूराम उर्फ अमरसिंह का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त करने से अमराराम का हक हिस्सा प्रभावित नहीं होगा और ना ही स्वामित्व पर भी कोई प्रभाव पडेगा। इस लिए रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट के तहत प्रार्थी का नाम तहसीलदार पीलीबंगा चक 43 एलएलडब्ल्यू

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

खाता संख्या 2/2 प.न. 21/226 कुल 1.202 हैक. में अमराराम पुत्र सुरजाराम के स्थान पर अमरसिंह पुत्र सुरजाराम एवं तहसील सादुलशहर खाता संख्या 89/89 में सही नाम अमरूराम पुत्र सुरजाराम के स्थान पर अमरसिंह पुत्र सुरजाराम दुरूस्त किया जाता है शेष खाता यथावत रहेगा।

तहसीलदार पीलीबंगा जिला हनुमानगढ/सादुलशर जिला श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि जांच कर स्थगन या वाद नहीं होने की दशा में उपर्युक्तानुसार आदेशों की पालना सुनिश्चित करें।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो। यह आदेश आज दिनांक 10/11/25 सरे ईजलास पढ़कर सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी * पीलीबंगा (हनुमानगढ़)

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवम
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

उपखण्ड अधिकारी एवम
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.12.30 16:24:45 IST
Reason: SelfAttested